

an>

Title: Introduction of the Prohibition on use of Coercive Methods for Recovery of Bank Loans Bill, 2014.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बैंको या उनके अभिकर्त्ताओं, चाहे वे प्राधिकृत हों या नहीं, द्वारा ऋण वसूली के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के प्रति मौखिक या शारीरिक अभित्रास और उत्पीड़न जैसे प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the use of coercive methods such as intimidation and harassment either verbal or physical against any person or his family members for recovery of loans by banks, or their agents, whether authorized or not, and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15.52 ½ hrs.

(xxix) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2014*